

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना)

प्र०स०
०६/१९

ता० रजु:
३-६-१९

किस्म मुकदमा
९१ CR Act

निर्णय दिनांक
१२-६-१९

सरकार

बनाम श्री शारदखिलानी पुत्र श्री हरीराम जाति धराकड

निवासी दहगावा तह० बयाना

अन्तर्गत धारा ९१ एल आर एक्ट

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का दहगावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम दहगावा के खसरा नं १८७ रकवा ००७९ में से रकवा ०००२ किस्म भूमि यसरा पर सम्वत २०७६ में श्री शारदखिलानी पुत्र हरीराम जाति धराकड नि० दहगावा तहसील बयाना ने अतिक्रमण कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा ९१ एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवियर/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं १८७ रकवा ०००२ वाके ग्राम दहगावा से बेदखल किया जाता है। लगान को ०००४ ५० गुणा पैनल्टी राशि ५) से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक १२-६-१९ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयानवाली को वाद नामक
श. वे. सं. ०४ के वेद नं.
दिनांक १२.६.१९ को वं २०१९-२०
वेदल्टी सं. फतव नीलामी
को जा चुका है।

उत्तरीय राजस्व न्यायालय
न्यायालय

तहसीलदार
बयाना